कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री ग्रीन लाइट प्लानेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-7 / 3, ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**001 /2016, 10.02.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रदीप शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री ग्रीन लाइट प्लानेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-7 / 3, ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.02.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा FANS POWERED BY SOLAR PHOTOVOLTIC PANELS पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री प्रदीप शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-2490,, दिनांक 15.03.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि A Solar fan is a mechanical fan powered by Solar panels. यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्णित किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-13 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

Electrical energy; Windmill for water pumping and for generation of electricity; Lantern and Lamps using kerosene oil and their chimney but excluding gas lantern, petromax and stove and their parts, accessories and components; Liquid petroleum gas for domestic use as defined under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956; Solar energy device, solar energy equipments and parts thereof.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि Solar Photovoltic Panel से संचालित फैन इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-क के क्रमांक-108 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Renewable energy devices & spare parts which are not included in any other schedule.

Fans Powered by Solar Photovoltic Panels उक्त क्रमांक-108 की प्रविष्टि से भी आच्छादित नहीं है। विद्युत चालित फैन अवर्गीकृत वस्तु है। सोलर एनर्जी से संचालित फैन भी एक प्रकार का फैन है जिसको चलाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,

....2

2008 की अनुसूची-I, II, III व IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% वैट तथा नियमानुसार अतिरिक्त कर की देयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा केवल FANS POWERED BY SOLAR PHOTOVOLTIC PANELS पर कर की दर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, किन्तु न तो प्रार्थना-पत्र में और न ही सुनवाई के समय प्रश्नगत उत्पाद की कार्य प्रणाली स्पष्ट की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा रूपपत्रों में इलेक्ट्रिकल गुड्स की खरीद-बिक्री घोषित की गयी है तथा इस पर 12.5% वैट व 2% अतिरिक्त की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुव्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा केवल FANS POWERED BY SOLAR PHOTOVOLTIC PANELS पर कर की दर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, किन्तु न तो प्रार्थना-पत्र में और न ही सुनवाई के समय प्रश्नगत उत्पाद की कार्य प्रणाली स्पष्ट की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा रूपपत्रों में इलेक्ट्रिकल गुड्स की खरीद-बिक्री घोषित की गयी है तथा इस पर 12.5% वैट व 2% अतिरिक्त की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुव्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 / 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।